



झारखण्ड सरकार

नेतरहाट आवासीय विद्यालय

(नेतरहाट विद्यालय समिति, सोसाइटीज निबंधन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत निबंधित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था एच.ई.सी, एम.डी.आई. भवन, धुर्वा, राँची-834004), निबंधन संख्या : 688/2009-10,

सत्र 2016-17 में,

छठा वर्ग में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र

(आवेदक अपनी लिखावट में साफ-साफ भरें)



पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएँ एवं नीचे खाली जगह पर अपना हस्ताक्षर करें

1. प्रमण्डल का नाम _____ जिला _____ प्रखण्ड _____

2-आवेदक का नाम: a) हिन्दी में : _____

b) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में : _____

3. आवेदक की माता का नाम : a) हिन्दी में : _____

b) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में : _____

4. आवेदक के पिता का नाम : a) हिन्दी में : _____

b) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में : _____

5. जन्म तिथि a) अंकों में : _____

d d / m m / y y y y

b) शब्दों में : _____

6. विद्यालय का नाम जहाँ छात्र अध्ययनरत है _____

7. पता (क) स्थायी पता : मकान सं० (यदि हो) _____ ग्राम / मोहल्ला / गली सं० _____

पोस्ट : _____

थाना _____ जिला _____ पिन कोड _____

(ख) पत्राचार का पता : मकान सं० (यदि हो) _____ ग्राम / मोहल्ला / गली सं० _____

पोस्ट : _____

थाना _____ जिला _____ पिन कोड _____

8. सम्पर्क : a) फोन _____

b) ई-मेल : _____

9. जाति / श्रेणी :- (सामान्य जाति / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति में से जिस श्रेणी के हैं, स्पष्ट रूप से अंकित करें) : _____

10. परीक्षा का माध्यम - (हिन्दी / अंग्रेजी) _____

11. अनुलग्नक :-

(क) बैंक ड्राफ्ट संख्या _____ तिथि _____ राशि _____ भुगतये शाखा _____

(ख) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र (अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र)

(ग) जाति प्रमाण पत्र (अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र)

(घ) पाँचवा वर्ग विद्यालय उत्तीर्णता / छठा वर्ग में अध्ययनरत प्रमाण पत्र (यदि विद्यालय में अध्ययनरत हों)

(ङ) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा निर्गत / जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 के तहत निर्गत, जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं और यदि इसमें से कोई तथ्य गलत साबित हुआ तो मैं परीक्षा में सम्मिलित होने एवं नामांकन के लिए अयोग्य होऊँगा। साथ ही मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि भविष्य में उपर्युक्त तथ्य यथा जन्मतिथि, जाति आदि के लिए किसी तरह के परिवर्तन का दावा नहीं करूँगा।

पिता / अभिभावक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

क्रम संख्या-----

चि०-----से नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

दिनांक-----

प्रमण्डल का नाम _____ जिला _____ प्रखण्ड _____

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

पदनाम

**प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने के पूर्व इन बिन्दुओं को
ध्यान पूर्वक पढ़ें**

1. आवेदन पत्र आवेदक द्वारा ही साफ-साफ अक्षरों में भरा होना चाहिए। आवेदन में किसी भी प्रकार का पुनर्लेखन (Over Writing) कट-कूट(Cutting) एवं अप-लेखन(Erasing) होने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
2. उम्र सीमा- 10 से 12 वर्ष (विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि ही मान्य होगी) इस संबंध में निर्धारित मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रवेश पंजी के आधार पर विद्यालय प्रधान द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र अथवा जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के तहत निर्गत जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. आवासीय प्रमाण पत्र - आवेदक को झारखण्ड राज्य का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। संबंधित प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे।
4. जाति प्रमाण पत्र-अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को आरक्षण हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. शैक्षणिक योग्यता- 5वीं उत्तीर्ण अथवा छठा वर्ग में अध्ययनरत आवेदक विद्यालय प्रमाण पत्र संलग्न करें। अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य के सीमा के अंतर्गत संचालित सरकारी विद्यालय अथवा केन्द्रीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 6 में नामांकित हों।
6. फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर :- आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थल पर फोटो चिपका कर विद्यालय प्रधान/ राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करायें एवं फोटो के नीचे निर्धारित स्थल पर हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी दो अतिवृत्त फोटो (चिपकाये गए फोटो की प्रति के समान) परीक्षा केन्द्र पर साथ लेकर आएँगे।
7. लिखित प्रवेश परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
 - a) प्रवेश पत्रक
 - b) आयु प्रमाणपत्र
 - c) आवासीय प्रमाणपत्र
 - d) जाति प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)
8. अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के संबंध में अनावश्यक पत्राचारों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।